राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः प्रशि./जीएनएम/2014/217 दिनांक : 10.01.2014

निदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
सचिवालय, जयपुर।

विषय : जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण सत्र 2013–14 में प्रवेश हेतु तृतीय काउंसलिंग विज्ञप्ति के प्रकाशन बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण सत्र 2013–14 में प्रवेश हेतु तृतीय काउंसलिंग की विज्ञप्ति क्रमांकः प्रशि./जनप्र/2014/216 दिनांक : 10/1/14 की 10 प्रतियां संलग्न कर लेख है कि इनका राज्य के प्रमुख समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, राष्ट्रदूत, दैनिक नवज्योति के राज्य के सभी संस्करणों में शीघ्र प्रकाशन करवाने का श्रम करावे।

संलग्न– दस।

(कन्हैया लाल स्वामी)
अति. निदेशक (प्रशिक्षण)

क्रमांकः प्रशि./जीएनएम/2014/ दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं –:

1. निजी सचिव, मा. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. जिला पुलिस कमीश्नर, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि काउंसलिंग स्थल पर कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु आवश्यक सुरक्षा बल तैनात कराने का श्रम करे।
5. थाना अधिकारी, पुलिस थाना, अशोक नगर, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि काउंसलिंग स्थल पर कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु आवश्यक सुरक्षा बल तैनात कराने का श्रम करे।
6. अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि काउंसलिंग स्थल पर चल शौचालय की व्यवस्था करावें।
7. रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि पूर्व की भांति काउंसलिंग से संबंधित टेन्ट, कुर्सी, पानी, माईक आदि का पूर्ण इन्तजाम किया जाना सुनिश्चित करे।
8. जन सम्पर्क अधिकारी, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त काउंसलिंग के आशय के समाचार का प्रेस नोट समाचार पत्रो में प्रकाशित कराने का श्रम करे।
9. प्रभारी सर्वर कक्ष, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि इस काउंसलिंग हेतु विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करावें।
10. सचिव/समन्वयक, राजस्थान प्राईवेट नर्सिंग स्कूल फैडरेशन, ई–277 लालकोठी योजना, जयपुर।
11. सचिव/समन्वयक प्राईवेट फिजियोथैरेपी नर्सिंग एण्ड पैरामेडिकल इन्स्टीट्यूशंस फैडरेशन ऑफ जयपुर।
12. रक्षित/आदेश पत्रावली।

(कन्हैया लाल स्वामी)
अति. निदेशक (प्रशिक्षण)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज. जयपुर

क्रमांकः प्रशि./जीएनएम/जी–88 (पार्ट–1)/2014/216 दिनांक : 10·01·2014

– विज्ञप्ति –

जनरल नर्सिंग एण्ड मिडवाईफरी प्रशिक्षण कोर्स 2013–14 में प्रवेश हेतु तृतीय काउंसलिंग कार्यक्रम

जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 2013–14 में प्रवेश हेतु प्रथम एवं द्वितीय काउसलिंग के बाद रिक्त रही सीटों पर प्रवेश के लिए तृतीय काउंसलिंग हेतु निम्न श्रेणी/वर्ग सम्मुख अंकित प्राप्तांक प्रतिशत तक के अभ्यर्थियों को अपने मूल दस्तावेजों के साथ निजी नर्सिंग स्कूल में प्रवेश हेतु 10,000/– का डी.डी. जो **"रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर" के नाम पर देय हो** सहित प्रशिक्षण केन्द्र आंवटन हेतु चयन समिति के सम्मुख **राजस्थान नर्सिंग कौंसिल भवन, बी–39 सरदार पटेल मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर** के यहां निम्नानुसार उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया जाता है :–

निजी प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश हेतु			
1.	**महिला अभ्यर्थी** सामान्य/अजा./अजजा./टीएसपी–एससी/टीएसपी–एसटी/सहरिया/अपिव./विपिव. सहित महिला अभ्यर्थी	बायलोजी व अन्य विषय ग्रुप 40.000 प्रतिशत तक प्राप्तांको के सामान्य व अन्य पिछडा/विशेष पिछडा वर्ग तथा 35.000 प्रतिशत प्राप्तांकों के अजा./अजजा./टीएसपी–एससी/टीएसपी–एसटी/ सहरिया/ महिला अभ्यर्थी।	16.01.2014 9.00 बजे प्रातःकाल
2.	**सामान्य पुरूष** अजा./अजजा./टीएसपी–एससी/टीएसपी–एसटी/सहरिया/अपिव./विपिव. सहित सामान्य पुरूष अभ्यर्थी	बायलोजी विषय ग्रुप 40.000 प्रतिशत तक प्राप्तांको के (अजा./अजजा./टीएसपी–एससी/टीएसपी–एसटी/सहरिया/अपिव./विपिव. सहित) सामान्य पुरूष अभ्यर्थी।	16.01.2014 9.00 बजे प्रातःकाल
3.	**सामान्य पुरूष** अजा./अजजा./टीएसपी–एससी/टीएसपी–एसटी/सहरिया/अपिव./विपिव. सहित सामान्य पुरूष अभ्यर्थी	अन्य विषय ग्रुप 63.000 प्रतिशत तक प्राप्तांको के (अजा./अजजा./टीएसपी–एससी/टीएसपी–एसटी/सहरिया/अपिव./विपिव. सहित) सामान्य पुरूष अभ्यर्थी।	16.01.2014 9.00 बजे प्रातःकाल
4.	**सामान्य पुरूष** अजा./अजजा./टीएसपी–एससी/टीएसपी–एसटी/सहरिया/अपिव./विपिव. सहित सामान्य पुरूष अभ्यर्थी	अन्य विषय ग्रुप 56.000 प्रतिशत तक प्राप्तांको के (अजा./अजजा./टीएसपी–एससी/टीएसपी–एसटी/सहरिया/अपिव./विपिव. सहित) सामान्य पुरूष अभ्यर्थी।	17.01.2014 9.00 बजे प्रातःकाल
5.	**सामान्य पुरूष** अजा./अजजा./टीएसपी–एससी/टीएसपी–एसटी/सहरिया/अपिव./विपिव. सहित सामान्य पुरूष अभ्यर्थी	अन्य विषय ग्रुप 40.000 प्रतिशत तक प्राप्तांको के अजा./अजजा./टीएसपी–एससी/टीएसपी–एसटी/सहरिया/अपिव./विपिव. सहित सामान्य पुरूष अभ्यर्थी।	18.01.2014 9.00 बजे प्रातःकाल
6.	**एसटी पुरूष** एसटी/एसटी–टीएसपी/सहरिया सहित	अन्य विषय ग्रुप 35.000 प्रतिशत तक प्राप्तांको के अजजा./टीएसपी–एसटी/सहरिया सहित पुरूष अभ्यर्थी।	18.01.2014 9.00 बजे प्रातःकाल
7.	**एससी पुरूष** एससी/एससी–टीएसपी सहित	अन्य विषय ग्रुप 35.000 प्रतिशत तक प्राप्तांको के (अजा./टीएसपी–एससी सहित पुरूष अभ्यर्थी।	18.01.2014 9.00 बजे प्रातःकाल

अन्य पिछडा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र आरक्षित वर्ग के महिला अभ्यर्थी के प्रकरण में पिता के नाम से जारी किया हुआ ही मान्य होगा, पति के नाम का नही ।

एक बार सीट चयन करने, आवंटन पत्र जारी करने एवं फीस जमा करने के ...... करना किसी भी स्थिति में संभव नही होगा। राज्य सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 16.01.91 के नियम 8(5) के अनुसार जीएनएम प्रशिक्षण केन्द्र परिवर्तन पर पूर्ण प्रतिबंध है और अभ्यर्थी को प्रवेशित संस्थान पर ही प्रशिक्षण पूर्ण करना आवश्यक है। **किसी भी स्थिति में प्रशिक्षण छोडने वाले अभ्यर्थी को जमा अग्रिम शुल्क लौटाया नही जायेगा।**

निजी प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रवेश के लिए उपरोक्त प्राप्तांक प्रतिशत से अधिक प्राप्तांक वाले ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम एवं द्वितीय काउंसलिंग में अनुपस्थित रहे हो या आवंटित केन्द्र पर ज्वाईन नही किया हो या किसी केन्द्र विशेष के लिए विकल्प दिया हो, तृतीय काउंसलिंग में प्रवेश पा सकेंगे।

निजी जीएनएम स्कूल में प्रवेशित अभ्यर्थी को निर्धारित रू. 50,000 /– वार्षिक फीस में से फीस अग्रिम राशि पेटे रू. 10,000/– का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो **रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर** के नाम देय हो, जमा कराना होगा तथा शेष रू. 40,000/– अपने मूल शैक्षणिक एवं अन्य दस्तावेजों के साथ प्रशिक्षण में उपस्थिती देते समय प्रधानाचार्य संबंधित निजी जीएनएम स्कूल को जमा करवाना होगा। स्ववित पोषित योजना के अन्तर्गत मेडिकल रिलिफ सोसायटी, द्वारा जिला स्तरीय चिकित्सालय चित्तौडगढ में संचालित सांवलिया जी जीएनएम स्कूल में प्रवेशित अभ्यर्थियों को भी प्राइवेट स्कूलों के समान शुल्क जमा करवाना होगा।

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर द्वारा समय–समय पर जारी अनुदेशिका/दिशा निर्देशों में जिन शिक्षा बोर्ड/संस्थान/परीक्षा को समकक्ष मान्यता नही है, ऐसे शिक्षा बोर्ड/संस्थान से प्राप्त शैक्षणिक योग्यताधारी अभ्यर्थी चयन के पात्र नही है, इसलिये काउंसलिंग मे उपस्थित नही होवें।

निजी नर्सिंग स्कूल्स में प्रवेश हेतु निर्धारित राजकीय कोटे की सीटो की संख्या के 5–10 गुणा तक अभ्यर्थियो को उक्त काउंसलिंग हेतु बुलाया गया है, अतः आवश्यक नही है कि बुलाये गये सभी अभ्यर्थियों का चयन संभव हो। काउंसलिंग में आने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का भत्ता देय नही होगा।

काउंसलिंग द्वारा सीट आवंटन का विस्तृत कार्यकम, सीटों की संख्या विभागीय बेवसाईट पर देखी जा सकेगी, प्रतिदिन काउंसलिंग उपरान्त् रिक्त रही सीटों का विवरण प्रतिदिन सांयकाल विभागीय बेवसाईट पर उपलब्ध रहेगा।

(कन्हैया लाल स्वामी)
अति0 निदेशक (प्रशा.),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज. जयपुर